

Case - 30/24-25

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार
अनुसूची 14 - फारम सं० 562।

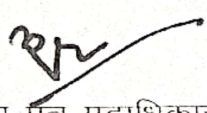
आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तांक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता०.....से.....तक

जिला- बोकारो, सं० 11 सन् 2019-20

केस का प्रकार नीलाम पत्र पदाधिकारी - सह

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1		3
16/01/2025	प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया², कसमार, बोकारो शाखा, जिला बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा देनदार..... श्री कलशुनी मुखर्जी, पितृश्री विजय कुमार मुखर्जी ग्राम सुंदरपुर, पोस्ट + थाना - कसमार: जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 43273.00 की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया। साथ ही "कोर्ट फी" रुपये 3528.00 कुल 46801.00 रुपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें। नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें। अभिलेख दिनांक 16/04/2025 को उपस्थापित करें।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी कसमार।	